

90

<p>who have undergone training in Cash and Accounts work conducted by Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possessing two years experience of cash, accounts and budget work; failing which,</p> <p>(B). Officers under the Central Government:</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band 1 (Rs. 5200-20200) with grade pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>(b) who have undergone training in cash and accounts work in the who have undergone training in Cash and Accounts work conducted by Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possessing two years experience of cash, accounts and budget work;</p>	<p>Manohar Lohia Hospital —Member Deputy Director in charge of Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services —Member</p>	
---	---	--

[F. No. A-11018/15/2014-RR (MH II)]

SANJAY PANT, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जून, 2016

सा.का.नि. 88.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली-1973 को जहां तक उनका संबंध स्टुवर्ड के पद में है, उन बातों के निवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में स्टुवर्ड के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, स्टुवर्ड, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या उममे मंगलन वेतनमान वह होगा जो इन नियमों में उपावद्ध अनुमूची के स्तंभ (2) में स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुमूची के स्तंभ (5) में स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिमने ऐसे व्यक्ति में, जिमका पति या जिमकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति में विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह ममाधान हो जाता है कि ऐमा विवाह ऐमे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐमा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या ममीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुमूचित जातियों, अनुमूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टुवर्ड	1* (2015)	साधारण केन्द्रीय सेवा, 'ममूह 'न' अगजपत्रित अनुसूचित	वेतन बैंड: 1- वेतनमान रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्षों के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणः- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों में आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मित्रिकम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के नाहोल और म्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त बाई या विश्वविद्यालय में वागहवी कक्षा पास या समतुल्य</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त संस्थान में होटल प्रबंध में डिप्लोमा</p> <p>टिप्पण:1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/मध्यम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण :2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/मध्यम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुमूचित जातियों या अनुमूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/मध्यम प्राधिकारी</p>	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

की यह गाय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन मसुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		
---	--	--

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति, जिमकेन हो मकने पर मीथी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधिकारी, (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 1, 5200 - 20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2000 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो, और (ख) स्तब 7 के अधीन मीथे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखने हों।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिममें निम्नलिखित होंगे :— 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल का भारमाधक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. उप निदेशक, प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य	नागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-11018/32/2005-एम एच-II]

मंजय पंत, अवर मचिव

New Delhi, the 3rd June, 2016

G.S.R. 88.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Wellington Hospital and Nursing Home (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Steward, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Steward in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Steward (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and Other Special Categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Steward	1* (2015) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band 1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i). 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or University. (ii). Diploma in Hotel Management from recognised institute. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits	Deputation failing which by direct recruitment.

